

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 70/2017 अपील

1. दरगाह जरिये सदर फरजान अली बनाम राजस्थान राज्य जरिये  
निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला तहसीलदार हुरडा जिला  
भीलवाडा भीलवाडा

–अपीलार्थी

– प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध आदेश तहसीलदार, हुरडा बमामले

प्रकरण सं0 159/2016 निर्णय दिनांक 17.11.2016

उपस्थित –

1. श्री राकेश जैन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 07.06.2017



अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश तहसीलदार हुरडा को बमामलें प्रकरण सं. 159/2016 निर्णय दिनांक 17.11.2016 के खिलाफ दिनांक 08.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हुरडा मंगरा के आराजी नम्बर 1914/1318 में से रकबा 0.05 बीघा पर अपीलार्थी का कब्जा होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही कर उक्त आलौच्य निर्णय प्रतिपादित किया , जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय हैं । न्यायालय की आदेशिका में क्या वर्णित किया गया , इसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसे दी गयी । अपीलार्थी को अपना प्रक्ष रखने हेतु कोई पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त निर्णय प्रतिपादित कर दिया । अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया , इस प्रकार उक्त निर्णय प्रतिपादित न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं । उक्त वादग्रस्त भूमि पर लगभग 40-50 वर्षों से दरगाह बनी होकर उसमें जाईरीन जियारत व नमाजी नमाज अदा करते चले आ रहे हैं। उक्त दरगाह में अपीलार्थी ने विद्युत विभाग , जलदाय विभाग से कनेक्शन भी ले रखे हैं। खसरा नम्बर 1914/1318, 1088, 1077 ज 1 के भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेण्ट से पूर्व बिलानाम दर्ज थी, किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग की गलती से उक्त आराजी को चारागाह के रूप में दर्ज कर दी गयी,

जो राजस्व विभाग की गलती थी । उक्त स्थल पर समस्त राजकीय सुविधाएँ, राजकीय पाठशाला एवं स्वच्छ भारत अभियान योजना के शौचालय एवं इन्द्रा आवास योजना अन्तर्गत मकान आदि बने हुए हैं एवं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि के कई निवासी के आवास संबंधी पट्टे भी जारी हो रखे हैं । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा ने बिना कोई जाँच पड़ताल किये व वास्तविक तथ्यों की जानकारी कराये बिना उक्त आलौच्य निर्णय पारित कर दिया, जबकि उक्त भूमि की तरमीम के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर गुलाबपुरा में भागचन्द वगैरह बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण सं. 173/2016 विचाराधीन होकर जैर कार्यवाही है। इसके बावजूद अनाधिकार व विधि विरुद्ध तरीके से आस पास स्थित आवासीय मकानों के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया, जो विधि विरुद्ध हैं । अपीलार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि का नियमन कराने का अधिकारी हैं । पटवारी हल्का ने अपीलार्थी की अनुपस्थिति में मनमकसूद तौर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है । पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट वास्तविकता से परे हैं । अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी । अपीलार्थी के पता करने पर तहसील कार्यालय से अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.2.2017 को दी गई । नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 22.02.2017 को नकलें प्राप्त हुई, जिस पर यह अपील नकल मिलने से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। विलम्बित अवधि को कण्डोन कराने हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.03.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये जो दिनांक 20.04.2017 को प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम हुरडा मंगरा के आराजी नम्बर 1914/1318 में से रकबा 0.05 बीघा पर अपीलार्थी का कब्जा होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही कर उक्त आलौच्य निर्णय प्रतिपादित किया , जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय हैं । न्यायालय की आदेशिका में क्या वर्णित किया गया इसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसे दी गयी । अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु कोई पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त निर्णय प्रतिपादित कर दिया । अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया , इस प्रकार उक्त निर्णय प्रतिपादित न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं । उक्त वादग्रस्त भूमि पर लगभग 40-50 वर्षों से दरगाह बनी होकर उसमें जाईरीन जियारत व नमाजी नमाज अदा करते चले आ रहे हैं। उक्त दरगाह में अपीलार्थी ने विद्युत विभाग , जलदाय विभाग से कनेक्शन भी ले रखे हैं। खसरा नम्बर 1914/1318,



अधीनस्थ न्यायालय  
श्री. जयपुर (राज.)

1088, 1077 जो कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेण्ट से पूर्व बिलानाम दर्ज थी, किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग की गलती से उक्त आराजी को चारागाह के रूप में दर्ज कर दी गयी, जो राजस्व विभाग की गलती थी । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा ने बिना कोई जाँच पड़ताल किये व वास्तविक तथ्यों की जानकारी कराये बिना उक्त आलौच्य निर्णय पारित कर दिया, जबकि उक्त भूमि की तरमीम के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर गुलाबपुरा में भागचन्द वगैरह बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण सं. 173/2016 विचाराधीन होकर जैर कार्यवाही है। इसके बावजूद अनाधिकार व विधि विरुद्ध तरीके से आस पास स्थित आवासीय मकानों के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया, जो विधि विरुद्ध है । अपीलार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि का नियमन कराने का अधिकारी हैं । पटवारी हल्का ने अपीलार्थी की अनुपस्थिति में मनमकसूद तौर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है । अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे ।

विपक्षी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम हुरडा मगरा के आराजी नं. 1914/1318 में से रकबा 0.05 बीघा की किस्म चारागाह दर्ज रिकार्ड है । चारागाह भूमि में अपीलार्थी द्वारा 0.05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर दरगाह व मदरसा नींव भरकर निर्मित करने पर तहसीलदार हुरडा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 17.11.2016 से अपीलार्थी को विपक्षी को अतिक्रमणशुदा आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये एवं शास्ति आरोपित की गई। इस आदेश की पालना में पटवारी हल्का हुरडा मगरा द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमी को दिनांक 07.02.2017 को बेदखल किया जाकर भूमि तहवील सरकार ली गई । अतिक्रमणशुदा भूमि चारागाह किस्म की होने से नियमन योग्य नहीं हैं एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों में होने से चारागाह भूमि पर अपीलार्थी को किसी प्रकार अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावे ।

सर्वप्रथम अपील में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम हुरडा मगरा के आराजी नं. 1914/1318 में से रकबा 0.05 बीघा भूमि किस्म चारागाह दर्ज रिकार्ड है। चारागाह भूमि में अपीलार्थी द्वारा 0.05 बीघा भूमि पर अतिक्रमण द्वारा दरगाह व मदरसा नींव भरकर निर्माण करने पर तहसीलदार हुरडा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 17.11.2016 से अपीलार्थी को विपक्षी


को अतिक्रमणशुदा आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये एवं शास्ति आरोपित की गई। इस आदेश की पालना में पटवारी हल्का हुरडा मगरा द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमी को दिनांक 07.02.2017 को बेदखल किया जाकर भूमि तहसील सरकार ली गई। अपीलार्थी स्वयं ने भी अपनी अपील में अंकित किया है कि अपीलार्थी के उक्त वादग्रस्त आराजियात के आस पास मकान को दिनांक 07.02.2017 को ध्वस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी ने अपील में यह भी अंकित किया है कि ग्राम हुरडा मगरा में आराजी नं. 1914/1318, 1088,1077 के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर गुलाबपुरा में प्रकरण सं. 173/2016 उक्त भूमि की तरमीम के संबंध में जैरकार होना बताया है, लेकिन इस बिन्दु की ताईद में अपीलार्थी ने किसी प्रकार के प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण तरमीम हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर गुलाबपुरा में जैरकार होने मात्र से अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि में कोई अधिकार नहीं मिल जाते हैं। अतिक्रमणशुदा भूमि चारागाह किस्म की होने से नियमन योग्य नहीं हैं एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों में होने से चारागाह भूमि पर अपीलार्थी को किसी प्रकार के अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य ठहरती है। अतएव—

### आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत खारिज की जाती हैं। तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 159/2016 निर्णय दिनांक 17.11.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हुरडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(सल.आर.गुगरवाल)  
अति. जिला कलक्टर  
मीलवाड़ा.)